

नेमाराम वनाम सरकार
मुकदमा नम्बर 83/2022
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2022/508

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होता है, परन्तु प्रार्थना पत्र में दी गई इस्तदुआ का निदान (Remedy) भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं तथा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की सुसंगत धाराओं में नहीं है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण को धारा 88, 136 का मानते हुये प्रार्थीगण का राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) मौजा खाबड़ियाना के खसरा नम्बर 948/805 रकबा 0.4856 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 950/806 रकबा 3.3063 हैक्टेयर के स्थान पर खसरा सख्या 948/805 रकबा 2.1450 हैक्टेयर तथा खसरा सख्या 950/806 रकबा 1.6469 हैक्टेयर दुरुस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—: : आदेश: : —

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट के स्वीकार किया जाता है। मौजा खाबड़ियाना के खेत खसरा नम्बर 948/805 रकबा 0.4856 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 950/806 रकबा 3.3063 हैक्टेयर के स्थान पर खसरा सख्या 948/805 रकबा 2.1450 हैक्टेयर तथा खसरा सख्या 950/806 रकबा 1.6469 हैक्टेयर दुरुस्त/दर्ज किया जाने का आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार डेह को आदेशित किया जाता है कि माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल करे।

आदेश आज दिनांक 24/1/2023 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश जसोरा)
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल (नागौर)

